शोध मंथन Vol. XIII No.III July-Sept. 2022 ISSN: (P) 0976-5255 (e) 2454-339X
Available at: *http:/shodhmanthan.anubooks.com*

पारिवारिक संयुक्ता की प्रवृत्तियाँ

प्राप्तिः 30.08.2022
स्वीकृतः 17.09.2022

70

डॉ० सत्येन्द्र सिंह
एसोसिएट प्रोफेसर, समाजशास्त्र विभाग
जनता वैदिक कॉलिज
बड़ौत (बागपत)
ईमेलः *satyendra.jvc@gmail.com*

सारांश

व्यक्ति समाज में अपने परिवार कुटुम्ब, नातेदारी गोत्र, जाति, गाँव, धर्म आदि के आधार पर समूह में बँधे रहते हैं। एक ओर जहाँ–जहाँ भारतीय समाज और संस्कृति पर औद्योगीकरण, नगरीकरण, पश्चिमीकरण, आधुनिकीकरण, शिक्षा, यातायात एवं संचार के साधनों का प्रभाव पड़ रहा है वहाँ अध्ययन करने का विषय यह हो जाता है कि भारतीय समाज के मूलभूत आधार, परिवार, जाति, गाँव तथा धर्म इनसे किस रूप में प्रभावित हो रहे हैं। संयुक्त परिवार के अध्ययन की ओर समाजशास्त्रियों, सामाजिक मानव शास्त्रियों, विधि–वेत्ताओं, नीति–निर्माताओं का ध्यान आकृष्ट होना ही चाहिये और समय–समय पर पारिवारिक संयुक्तता की प्रवृत्तियों को देखा जाना चाहिये। तभी हम भारतीय समाज के मूल आधार परिवार को न केवल समझ सकते हैं बल्कि उसे दिशा भी प्रदान कर सकते हैं। प्रस्तुत लेख में पारिवारिक संयुक्तता की प्रवृत्तियों का एक नगर एवं महानगर के बीच तुलनात्मक अध्ययन किया गया है। पारिवारिक समाजशास्त्र में कुछ विद्वान संयुक्त परिवार के विघटन को स्वीकार करते हैं और कुछ नहीं, यह एक उलझन भरा विषय है। आज आवश्यकता इस बात की है हम यह पता लगाने का प्रयास करें कि पारिवारिक संयुक्तता की प्रवृत्तियाँ नगरीय एवं महानगरीय समुदाय में क्या है?

संयुक्त परिवार वैदिक काल से लेकर अब तक भारतीय संस्कृति का अभिन्न हिस्सा रहा है। इसका यह अर्थ नहीं लगाया जा सकता है कि संयुक्त परिवार भारत में परिवार व्यवस्था का सबसे प्रचलित प्रकार भी सदैव से रहा था। यह भूमिहीन व्यक्तियों (निरंजन और साथी, 1998), नौकरशाही जातियों (जे0पी0सिंह 2001), अनुसूचित जातियों (कोलेण्डा, 1968:390), और जनजातीय आबादी (के0एस0सिंह, 1997:9), के बीच यह व्यवस्था बहुत कम उपस्थित थी। समान तथ्य काल्डवैल और साथियों (1984:227) द्वारा दक्षिण भारत में किये गये अर्द्धजनजातीय अध्ययन से भी प्रकट होता है। फिर भी जे0पी0 सिंह (2003) का विचार यह है कि कुछ समय के लिए संयुक्त परिवार के प्रचलन के स्तर को एक तरफ रखते हुए, ऐतिहासिक और नृजातीय प्रमाण सुझाव देते हैं कि प्रारम्भिक बीसवीं शताब्दी तक जीविका के लिए सहायक यांत्रिकी के रूप में संयुक्त परिवार व्यवस्था की भूमिका सम्पूर्ण उपमहाद्वीप में व्यक्ति के जीवन में स्पष्टतः महत्वपूर्ण थी। लेकिन विभिन्न समयों में परिवार के सदस्यों में असंतोष, कुटुम्ब की विशालता, अहम् का अभिव्यक्तिकरण, आर्थिक दबाव, नारियों में पारस्परिक

कलह आदि कुछ कारक परिवारों के विघटन के कारण रहे हैं। आधुनिक काल में विभिन्न कानूनों जैसे हिन्दू लॉ ऑफ इनहैरीटैन्स एक्ट 1929, वूमैन्स टू प्रॉपर्टी एक्ट 1937, हिन्दू सक्सेशन एक्ट 1950, इनकम टैक्स लॉ तथा न्यू एस्टेट ड्यूटी कानून आदि ने परिवार व्यवस्था पर कठोर आघात किया है। तकनीकी क्रान्ति, औद्योगीकरण, नगरीकरण, व्यवसायिक विभिन्नीकरण, आधुनिक शिक्षा, महिला चेतना, पश्चिमीकरण, जनतंत्रीकरण, स्वतंत्रता एवं समानता की विचारधारा, आदि के कारण समाज में मूल्यों, परम्पराओं और विचारधाराओं आदि में जो परिवर्तन आ रहे हैं, उनके कारण परिवार व्यवस्था में हो रहे परिवर्तनों की ओर समाजशास्त्रियों, सामाजिक मानवशास्त्रियों तथा भारतीय विद्या वैज्ञानिकों, कानूवेत्ताओं और संविधान लेखकों का ध्यान आकृष्ट हुआ है।

आधुनिक समय में परिवार व्यवस्था का अध्ययन करने वाले विद्वानों में ओ'मैले (1941), मेयर (1960:46–47, 99–104), बैली (1957:9–10, 42, 92), काल्डवैल और साथी (1982: 701, 1984:222–224), के0एस0 सिंह (1992), जे0पी0 सिंह (1984, 1985:69–87, 1988:87799, 2001:229–48, 2003:53–70) आदि ने स्वीकार किया है कि संयुक्त परिवार का विघटन हो रहा है। भारत की जनगणनायें भी इसकी पुष्टि करती हैं।

देसाई (1955, 1956), श्रीनिवास (1956), कापडिया (1958:258–72), मदान (1962, 1999) और शाह (1998) का मानना है कि भारत में परम्परागत संयुक्त परिवार प्रकार्यात्मक इकाई के रूप में न केवल विद्यमान है, बल्कि नगरीय औद्योगीकरण सभ्यता के सामने पुनः और दृढ़ हुआ है। वैल (1960), मदान (1962:1962–63), गोरे (1968, मेण्डलबाम (1949), मेयर (1960), कुलकर्णी (1960), रास (1961), कोलन (1961), निकालेस (1961), सिंगर (1968), गाडविन (1972), सिन्हा (1977), शर्मा (1951, 1964), साहनी (1961), श्रीनिवास (1965), कपूर (1965), कोलेण्डा (1968), बेबार्ता (1977), कर्वे (1953), देसाई (1955, 1964), दूबे (1955), कापड़िया (1959, 1966), मदान (1965), गोल्ड (1968), मुखर्जी (1959), ओरेन्सटीन तथा मिकलिन (1966), कालडेट (1961) आदि ने भारत में संयुक्त परिवार का अध्ययन करने के लिए संयुक्तता के विभिन्न सूचकों पर ध्यान दिया है। कुल मिलाकर इन विभिन्न विद्वानों ने संयुक्तता के अग्रलिखित सूचकों पर ध्यान दिया है– संयुक्त निवास–स्थान, सहभागिता, संयुक्त सम्पत्ति, संयुक्त कोष या आय–व्यय, संयुक्त निर्णय, संयुक्त सत्ता, सामान्य पूजा तथा उत्सव, तीन या अधिक पीढ़ियाँ, सामान्य पूर्वज, पारस्परिक दायित्वों की पूर्ति, संयुक्त अधिकार तथा ऋण, परम्परागत व्यवसाय, परिवार के सदस्यों की अधिक संख्या, परिवार भावना न कि व्यक्तिवादी भावना, पतिस्थानीयता और पितृवंशीयता तथा परिवार इकाइयों के बीच संघर्ष आदि। यद्यपि संयुक्तता के सूचकों के बारे में विभिन्न विद्वानों के विचारों में भिन्नता दिखायी देती है।

स्वाभाविक है कि उपर्युक्त सूचकों को ध्यान में रखते हुए आज पारिवारिक संयुक्तता का एकीकरण की प्रवृत्तियों का अध्ययन करने की महती आवश्यकता है।

जनता वैदिक कॉलिज, बड़ौत (बागपत) के समाजशास्त्र विभाग के एम0ए0 द्वितीय वर्ष के दो विद्यार्थियों कु0 पूनम और प्रवीण कुमार के द्वारा मेरठ–महानगरीय एवं बड़ौत–नगरीय समुदाय से एकत्र किये गये आँकड़ों के आधार पर तुलनात्मक अध्ययन के रूप में कुछ महत्वपूर्ण निष्कर्षों को प्रस्तुत किया जा रहा है।

मेरठ–महानगरीय एवं बड़ौत–नगरीय समुदाय में 100–100 परिवारों में कुल परिवार इकाइयों की संख्या क्रमशः 368 तथा 532 है, जिनमें से क्रमशः 173 और 287 परिवार इकाइयां एक साथ रहती हैं अर्थात् महानगर में 47 प्रतिशत और नगरीय समाज में 54 प्रतिशत इकाइयां एक साथ

रहती हैं। महानगरीय एवं नगरीय समाज में क्रमशः ऐसे परिवार अधिक मात्रा में पाये गये हैं, जिनमें अधिकांश लोग शिक्षित और कुछ अशिक्षित है (60 प्रतिशत– 51 प्रतिशत) जबकि ऐसे परिवारों का अनुपात भी क्रमशः पर्याप्त है, जिनमें सभी शिक्षित है (32 प्रतिशत–40 प्रतिशत)। दोनों ही समुदायों में मध्यम आर्थिक स्थिति वाले परिवार अधिक अनुपात में पाये गये हैं, जिनका प्रतिशत महानगर एवं नगर में (95 प्रतिशत–76 प्रतिशत) है। महानगरीय समुदाय में ऐसे परिवार अधिक मात्रा में पाये गये जिनमें सभी नवीन व्यवसायों में संलग्न है (45 प्रतिशत) जबकि नगरीय समुदायों में ऐसे परिवार मात्रा में 16 प्रतिशत है। कुछ परम्परागत और अधिकांश नवीन व्यवसायों में संलग्न परिवारों का अनुपात महानगरीय और नगरीय समुदाय में लगभग समान है (36 प्रतिशत–35 प्रतिशत) जबकि कुछ परम्परागत और कुछ नवीन व्यवसायों में संलग्न परिवारों का अनुपात नगरीय समुदाय में अपेक्षाकृत अधिक पाया गया है। (42 प्रतिशत–15 प्रतिशत)। महानगरीय एवं नगरीय समुदाय में ऐसे परिवारों की मात्रा में अधिक भिन्नता नहीं है (35 प्रतिशत–37 प्रतिशत) जिनमें कुछ परिवार सदस्य परम्परागत विचारों और अधिकांश नवीन विचारों से प्रभावित है जबकि ऐसे परिवार नगरीय समुदाय में अपेक्षाकृत अधिक मात्रा में पाये गये हैं, जिनमें कुछ परिवार सदस्य परम्परागत और कुछ आधुनिक विचारों से प्रभावित है (36 प्रतिशत–23 प्रतिशत)। नगरीय एवं महानगरीय परिवारों में क्रमशः यातायात द्वारा सम्पर्क सरलता से सम्भव है, जिसका अनुपात है (96 प्रतिशत–94 प्रतिशत) तथ संचार साधनों द्वारा सम्पर्क भी सरलता से सम्भव है, क्रमशः (89 प्रतिशत–84 प्रतिशत)।

महानगरीय समुदाय में ऐसे परिवारों का प्रतिशत 33 प्रतिशत है जिनमें एक या दो कमाने वाले हैं, जबकि नगरीय समुदाय में ऐसे परिवारों का प्रतिशत 11 प्रतिशत है। जबकि ऐसे परिवार जिनमें तीन, चार तथा पाँच या पाँच से अधिक कमाने वाले सदस्य हैं, नगरीय समुदाय में अपेक्षाकृत अधिक अनुपात में पाये गये हैं (25 प्रतिशत–21 प्रतिशत, 29 प्रतिशत–20 प्रतिशत, 35 प्रतिशत–26 प्रतिशत)। नगरीय समुदाय में ऐसे परिवार अधिक मात्रा में पाये गये हैं, जिनमें पारिवारिक संयुक्तता बहुत अधिक है, (48 प्रतिशत– 26 प्रतिशत, 25 प्रतिशत–18 प्रतिशत) जबकि ऐसे परिवारों का अनुपात महानगरीय समुदाय में अधिक पाया गया है, जिनमें पारिवारिक संयुक्तता न बहुत अधिक है, न बहुत कम है (48 प्रतिशत–26 प्रतिशत, 4 प्रतिशत–1 प्रतिशत) जबकि ऐसे परिवार केवल महानगरीय समुदाय में ही पाये गये हैं, जिनमें पारिवारिक संयुक्तता या तो बहुत कम है या फिर बिल्कुल नहीं है (4 प्रतिशत)।

यदि महानगरीय एवं नगरीय समुदाय में प्रमुख रूप से पायी जाने वाली प्रवृत्तियों की ओर ध्यान आकृष्ट करें तो महानगरीय एवं नगरीय समुदाय में क्रमशः ऐसे परिवारों का अनुपात अपेक्षाकृत अधिक पाया गया है, जिनमें विवाह के बाद पारिवारिक संयुक्तता को बनाये रखने का प्रयास किया जाता है (84 प्रतिशत–52 प्रतिशत)। पारिवारिक संयुक्तता को बनाये रखने में शिक्षितों की सकारात्मक भूमिका की मात्रा भी नगरीय समुदाय में अपेक्षाकृत अधिक पायी गयी है (62 प्रतिशत–50 प्रतिशत)। उत्सव, विवाह समारोह आदि में अपनी जिम्मेदारी समझकर कार्य करने वाले परिवारों का अनुपात महानगरीय समुदाय में अपेक्षाकृत अधिक पाया गया है (87 प्रतिशत–72 प्रतिशत), लेकिन ऐसे परिवारों की मात्रा नगरीय समुदाय में अपेक्षाकृत अधिक पायी गयी है, जिनमें दूसरी परिवार इकाई के बच्चों को साथ रखकर पढ़ाने पर उनसे खर्चा नहीं लिया जाता है (70 प्रतिशत–45 प्रतिशत)। नौकरी एवं प्रवेश के समय परिवर के सदस्यों की सदैव सहायता करने वाले परिवार महानगरीय समुदाय में अपेक्षाकृत अधिक अनुपात में पाये गये हैं (80 प्रतिशत–65 प्रतिशत)। महानगरीय समुदाय में ऐसे

परिवारों का प्रतिशत अधिक पाया गया है, जिनमें पारिवारिक संयुक्तता को बनाये रखने मे पति–पत्नी दोनों का बराबर सहयोग होता है (62 प्रतिशत) जबकि नगरीय समुदाय में पुरुष (पति) अधिक सहयोग करते हैं (60 प्रतिशत)। लड़ाई के समय सदैव पारिवारिक संयुक्तता दिखाने वाले परिवारों का अनुपात महानगरीय समुदाय में अपेक्षाकृत अधिक पाया गया है, (80 प्रतिशत–81 प्रतिशत) ऐसे परिवारों का अनुपात महानगरीय समुदाय में अपेक्षाकृत अधिक पाया गया है, जिनमें व्यक्तिवादी भावना पर अंकुश लगाने का थोड़ा प्रयास किया जाता है (46 प्रतिशत– 37 प्रतिशत)। जबकि यह दृढ़ प्रयास नगरीय समुदाय में अपेक्षाकृत अधिक किया जाता है (60 प्रतिशत–26 प्रतिशत)। ऐसे परिवार जिनके सदस्य अपने दायित्वों को निभाते हैं और अधिकारों की माँग भी करते हैं महानगरीय समुदाय में अपेक्षाकृत अधिक अनुपात में पाये गये हैं (64 प्रतिशत–56 प्रतिशत)। पारिवारिक संयुक्तता अपने परिवार के प्रति तथा पत्नी के परिवार के प्रति बराबर–बराबर रखने वाले परिवारों का अनुपात महानगरीय समुदाय में अपेक्षाकृत अधिक पाया गया है (51 प्रतिशत–16 प्रतिशत) जबकि अपने परिवार के प्रति अधिक संयुक्तता रखने वाले परिवारों का अनुपात नगरीय समुदाय में अपेक्षाकृत अधिक पाया गया है, (78 प्रतिशत–47 प्रतिशत)। पारिवारिक संयुक्तता को बनाये रखने का उत्तरदायित्व सबसे बड़े पुत्र के द्वारा अधिक निभाया जाता है, जो महानगरीय समुदाय में अपेक्षाकृत अधिक पाया गया है (83 प्रतिशत–74 प्रतिशत)।

ऐसे परिवारों का प्रतिशत नगरीय एवं महानगरीय समुदाय में कोई विशेष अन्तर नहीं रखता, जिनमें संयुक्त उत्तरदायित्व को पूर्ण रूप से निभाया जाता है (78 प्रतिशत–77 प्रतिशत)। ऐसे परिवारों का अनुपात महानगरों में अपेक्षाकृत अधिक पाया गया है, जिनमें सम्पत्ति का असमान वितरण होने पर पारिवारिक संयुक्तता घटती है (83 प्रतिशत–60 प्रतिशत)। नगरीय–महानगरीय परिवारों की तुलना करने पर हम पाते हैं कि ऐसे परिवारों का अनुपात क्रमशः अधिक पाया गया है, जिनमें उत्तरदायित्वों की पूर्ति पारस्परिक रूप से की जाती है (92 प्रतिशत–88 प्रतिशत)। ऐसे परिवार, जिनमें परिवार का कोई सदस्य अधिक पैसे, अधिक योग्यता या ऊँचे पद वाला होने पर परिवार के अन्य सदस्य गर्व करते हैं महानगरीय समुदाय में अपेक्षाकष्त अधिक अनुपात में पाये गये हैं (95 प्रतिशत – 87 प्रतिशत)। दुकान, व्यापार या खेती में घरबार, अलग–अलग होने पर भी संयुक्तता दिखायी देने वाले परिवारों का अनुपात नगरीय समुदाय में अपेक्षाकृत अधिक पाया गया है (80 प्रतिशत–71 प्रतिशत)। ऐसे परिवारों के अनुपात में कोई विशेष अन्तर नहीं पाया गया है, जो उपहार लेते भी हैं और देते भी हैं। महानगरीय और नगरीय समुदाय में ऐसे परिवारों का अनुपात (95 प्रतिशत– 94 प्रतिशत) है। उपहार लेने–देने में अपनी क्षमतों को आधार मानने वाले परिवारों का अनुपात महानगरीय समुदाय में अपेक्षाकृत अधिक पाया गया है (84 प्रतिशत–80 प्रतिशत)। ऐसे परिवारों का अनुपात अधिक पाया गया है जिनमें आपस में उधार लिया दिया जाता है और ऐसे परिवारों का अनुपात महानगरीय समुदाय में अपेक्षाकृत अधिक पाया गया है (92 प्रतिशत–90 प्रतिशत)। परिवार के सदस्य की नौकरी के सवाल पर अपने पारिवारिक सदस्य को प्राथमिकता देने वाले परिवारों का अनुपात महानगरीय एवं नगरीय समुदाय में लगभग बराबर पाया गया है (91 प्रतिशत–92 प्रतिशत)। ऐसे परिवारों का अनुपात महानगरीय समुदाय में अपेक्षाकृत अधिक पाया गया है, जिनमें कानूनों के कारण सम्पत्ति विभाजन होने पर पारिवारिक संयुक्तता घटती है (76 प्रतिशत–37 प्रतिशत) जबकि ऐसे परिवार नगरीय समुदाय में अपेक्षाकृत अधिक अनुपात में पाये गये हैं जिनमें सम्पत्ति विभाजन कोई प्रभाव नहीं डालता है (52 प्रतिशत–15 प्रतिशत)। ऐसे परिवारों का अनुपात महानगरीय अंचल में अपेक्षाकृत अधिक पाया गया है, जिनमें संयुक्त सम्पत्ति का उपभोग करने वाले बाहर रहने वालों को बराबर का हिस्सा देते

हैं या कोई हिस्सा नहीं देते (47 प्रतिशत–29 प्रतिशत, 28 प्रतिशत–10 प्रतिशत) जबकि नगरीय समुदाय में कम हिस्स देने वाले परिवारों का अनुपात अपेक्षाकृत अधिक पाया गया है (60 प्रतिशत–25 प्रतिशत)। शारीरिक रूप से आश्रित व्यक्ति के साथ संयुक्ता रखने के लिए उससे पैसे या ढेरी या हिस्से की अपेक्षा न करने वाले परिवारों का अनुपात महानगर में अपेक्षाकृत अधिक पाया गया है (87 प्रतिशत–57 प्रतिशत)।

ऐसे परिवारों का अनुपात महानगरीय और नगरीय समुदाय में समान पाया गया है, जिनमें पारिवारिक संयुक्तता मन से है (81 प्रतिशत–81 प्रतिशत)। अगली पीढ़ी को पारिवारिक संयुक्तता बनाये रखने के लिए प्रेरित करने वाले परिवारों की मात्रा महानगरीय समुदाय में कुछ अधिक पायी गयी है (88 प्रतिशत–86 प्रतिशत)। ऐसे परिवारों का अनुपात भी महानगरीय समुदाय में अपेक्षाकृत अधिक पाया गया है, जिनमें परिवार में अन्य सदस्यों के आने पर बच्चे प्रसन्न होते हैं (95 प्रतिशत–81 प्रतिशत)। ऐसे परिवारों, जिनमें परिवार के बारे में महत्वपूर्ण निर्णय कभी कर्ता के द्वारा, कभी योग्य व्यक्ति के द्वारा लिया जाता है, का अनुपात महानगरीय अंचल में अपेक्षाकृत अधिक पाया गया है (75 प्रतिशत–52 प्रतिशत)। ऐसे परिवारों, जिनमें परिवार के हितों के लिए अपने हितों की कभी–कभी अनदेखी की जाती है, का अनुपात नगरीय अचंल में कुछ अधिक पाया गया है (67 प्रतिशत–64 प्रतिशत)। ऐसे परिवार महानगरीय समुदाय में अपेक्षाकृत अधिक अनुपात में पाये गये हैं, जिनमें दाम्पत्य सम्बन्धों की अपेक्षा कुछ अवसरों पर भ्रातृक सम्बन्धों को कभी–कभी अधिक महत्व दिया जाता है (68 प्रतिशत–39 प्रतिशत)। जबकि नगरीय समुदाय में भ्रातृक सम्बन्धों को पूरा–पूरा महत्व देने वाले परिवारों का अनुपात अपेक्षाकृत अधिक है (58 प्रतिशत–27 प्रतिशत)। महानगरीय एवं नगरीय समुदाय में क्रमशः ऐसे परिवार अधिक मात्रा में पाये गये हैं, जिनमें परिवार के वृद्ध पारिवारिक संयुक्ता को अपनाये रखने का कार्य करते हैं (82 प्रतिशत–80 प्रतिशत)।

ऐसे परिवार नगरीय अंचल में अपेक्षाकृत अधिक अनुपात में पाये गये हैं, जिनमें कुछ त्यौहार अनिवार्य रूप से सदैव साथ–साथ मनाये जाते हैं (52 प्रतिशत–37 प्रतिशत)। जबकि महानगरीय अंचल में ऐसे परिवार अधिक अनुपात में पाये गये हैं, जिनमें कुछ त्यौहार यदा–कदा साथ–साथ मनाये जाते हैं (48 प्रतिशत–42 प्रतिशत)। राजनैतिक क्षेत्र में एकता प्रदर्शित करने वाले परिवारों की मात्रा नगरीय अंचल में अपेक्षाकृत अधिक पायी गयी है (77 प्रतिशत–64 प्रतिशत)।

पारिवारिक संयुक्तता को बढ़ाने में परिवार नियोजन का प्रभाव महानगरीय समुदाय में अधिक है (62 प्रतिशत–33 प्रतिषत) जबकि नगरीय अंचल में अपेक्षाकृत रूप से न यह संयुक्तता को बढ़ाता है न घटाता है (55 प्रतिशत–33 प्रतिशत)। महानगरीय अंचल में जहाँ बच्चों के बीच झगड़ा पारिवारिक संयुक्तता को सापेक्षिक रूप से घटाता है (74 प्रतिशत–35 प्रतिशत) वहाँ नगरीय अंचल में कोई प्रभाव नहीं डालता है (60 प्रतिशत–26 प्रतिशत)। परिवार के किसी सदस्य के गलत रास्ते पर होने पर साथ न छोड़ने वाले परिवारों का अनुपात महानगरीय समुदाय में अपेक्षाकृत कुछ अधिक है (54 प्रतिशत–51 प्रतिशत)। परिवार में अगर कोई बच्चा या अन्य अलग होने पर भी गलती करता है, तो उसे रोकने वाले परिवारों का अनुपात महानगरीय समुदाय में अपेक्षाकृत अधिक पाया गया है (92 प्रतिशत–83 प्रतिशत)।

कुछ समय अन्तराल पर संयुक्तता और लड़ाई दिखाई देने वाले परिवारों की मात्रा नगरीय अंचल में अपेक्षाकृत अधिक पायी गयी है (89 प्रतिशत–78 प्रतिशत)। ऐसे परिवार नगरीय अंचल में अपेक्षाकृत अधिक अनुपात में पाये गये हैं जिनमें पारिवारिक सम्मान सर्वोपरि है (83 प्रतिशत–71

प्रतिशत)। ऐसे परिवार, जिनमें पारिवारिक संयुक्तता को बनाये रखने के लिए परिवार, नातेदारी सदस्यों या पड़ोसियों के द्वारा कभी–कभी दबाव डाला जाता है, महानगरीय समुदाय में अपेक्षाकृत अधिक, अनुपात में पाये गये हैं (58 प्रतिशत–53 प्रतिशत)। ऐसे परिवार महानगरीय समुदाय में अपेक्षाकृत अधिक अनुपात में पाये गये हैं, जिनमें पारिवारिक, संयुक्तता को बनाये रखने के लिए डाले गये दबाव का थोड़ा प्रभाव होता है (54 प्रतिशत–53 प्रतिशत) या कोई असर नहीं होता है (23 प्रतिशत–6 प्रतिशत) जबकि ऐसे परिवार नगरीय समुदाय में अधिक अनुपात में पाये गये हैं जिनमें दबाव का बहुत प्रभाव पड़ता है (42 प्रतिशत–15 प्रतिशत)।

ऐसे परिवार जिनमें पारिवारिक संयुक्तता को बनाये रखने के लिए परिवार के सदस्य राहत का अनुभव करते हैं, नगरीय समुदाय में अपेक्षाकृत अधिक अनुपात में पाये गये हैं (61 प्रतिशत–29 प्रतिशत) जबकि ऐसे परिवार महानगरीय समुदाय में अपेक्षाकृत अधिक अनुपात में पाये गये हैं जिनमें पारिवारिक संयुक्तता को बनाये रखने के लिए परिवार सदस्य न तो राहत का अनुभव करते हैं और न ही तनाव का (41 प्रतिशत–26 प्रतिशत)। ऐसे परिवार नगरीय समुदाय में अपेक्षाकृत अधिक अनुपात में पाये गये हैं जिनमें परिवार के सदस्य घूमने के लिए वहाँ जाना पसन्द करते हैं, जहाँ परिवार के सदस्य हों (92 प्रतिशत–62 प्रतिशत)। घूमने जाने पर परिवार के सदस्य के यहाँ रूकने वाले परिवार भी नगरीय अनुपात में ही अपेक्षाकृत अधिक मात्रा में पाये गये हैं (87 प्रतिशत–41 प्रतिशत) ऐसे परिवार भी नगरीय समुदाय में अपेक्षाकृत अधिक अनुपात में पाये गये हैं जिनमें रूकने पर खर्चा मेजबान करता है (71 प्रतिशत–64 प्रतिशत)।

ऐसे परिवार भी नगरीय अंचल में ही अपेक्षाकृत अधिक अनुपात में पाये गये हैं, जिनमें कोई समस्या आने पर परिवार के लोगों से विचार–विमर्श किया जाता है (82 प्रतिशत–70 प्रतिशत)। ऐसे परिवार भी नगरीय समुदाय में अधिक मात्रा में पाये गये हैं जिनमें पृथक् रहने पर भी अवकाश के समय संयुक्त परिवार के कार्य किये जाते हैं (82 प्रतिशत–76 प्रतिशत), जहाँ पारिवारिक संयुक्तता को प्रभावित करने में भावात्मक पृष्ठ–भूमि की प्रधानता वाले परिवार नगरीय समुदाय में अधिक मात्रा में पाये गये हैं (75 प्रतिशत–65 प्रतिशत) वहाँ आर्थिक पृष्ठभूमि की प्रधानता वाले परिवार महानगरीय समुदाय में अपेक्षाकृत अधिक अनुपात में पाये गये हैं (32 प्रतिशत–17 प्रतिशत)। दूर–संचार के माध्यम से बहुत सहायता करने वाले परिवारों का अनुपात नगरीय समुदाय में अधिक पाया गया है (79 प्रतिशत–63 प्रतिशत) ऐसे परिवार जिनमें दूरी संयुक्तता को बढ़ाती है, नगरीय समुदाय में अधिक अनुपात में पाये गये हैं (79 प्रतिशत–38 प्रतिशत) जबकि ऐसे परिवार जिनमें दूरी न तो संयुक्तता को बढ़ाती है और न घटाती है महानगरीय समुदाय में अपेक्षाकृत अधिक अनुपात में पाये गये हैं (46 प्रतिशत–6 प्रतिशत)। ऐसे परिवार महानगरीय अंचल में अपेक्षाकृत अधिक मात्रा में पाये गये हैं जिनमें परिवार में कुशलक्षेम पूछने आने वाले सदस्य कुछ सहयोग करते हैं (33 प्रतिशत–31 प्रतिशत) या बहुत सहयोग करते हैं (19 प्रतिशत–10 प्रतिशत), जबकि ऐसे परिवार नगरीय समुदाय में अपेक्षाकृत अधिक अनुपात में पाये गये हैं, जिनमें कुशल–क्षेम पूछने आने वाले सदस्य न कोई समस्या पैदा करते हैं और न कोई सहयोग करते हैं (44 प्रतिशत–42 प्रतिशत) या कुछ समस्या पैदा करते हैं (14 प्रतिशत–3 प्रतिशत)। आकस्मिक संकट के समय तीन या अधिक सप्ताह के लिए दूसरी परिवार इकाइयों के यहाँ चले जाने वाले परिवार महानगरीय अंचल में अधिक अनुपात में पाये गये हैं (43 प्रतिशत–12 प्रतिशत) जबकि एक सप्ताह के लिए जाने वाले परिवार नगरीय अंचल में अधिक अनुपात में पाये गये हैं (57 प्रतिशत–20 प्रतिशत)।

अन्त में संक्षेप में केवल इतना कहा जा सकता है कि नगरीय एवं महानगरीय समुदाय में पारिवारिक संयुक्तता की प्रवृत्तियां शिक्षा, औद्योगीकरण, नगरीकरण, आधुनिकीकरण, यातायात एवं संचार के साधनों से प्रभावित होती हुई तो प्रतीत होती है लेकिन अभी भी नगरीय एवं महानगरीय समुदाय में पारिवरिक संयुक्तता की प्रवृत्तियां अधिकांश विषयों में पर्याप्त दृढ़ है।

संदर्भ

1. Bailey, F.G. (1957). *Caste and the Economic Frontier*. Humanities Press: New York.
2. (1960). "Joint Family in India : A Frame work for Discussion". *The Economic Weekly* 12. Pg. **345-352.**
3. Bebarta, Prafulla C. (1977). *Family Types and Firtility in India*. Christopher Publishing House: Mass.
4. Cohen, B.S. (1961). "Chamar Family in a North Indian Village: A Structure Contingent". The Economic Weekly 13 July 1951-55.
5. Caldwelln, J.C. et.al. "The Cause of demographic change in Rural South India". *Population and Development Review*. 8(4). Pg. **689-727.**
6. (1984). 'The Determinant of Family Structure in Rural South India'. *Journal of Marriage and the Family.* February. Pg. **215-29.**
7. Chakrabarty, Krishna. (2002). *Family in India*. Rawat Publications: Jaipur.
8. Desai, I.P. (1955). "Symposium: Caste and Joint Family". *Sociological Bulletin*. 4. Pg. **85-1461.**
9. (1956). "Joint Family in India: An analysis". *Sociological Bulletin*. 5. Pg. **144-56.**
10. (1964). *Some Aspects of Family in Mahuva: A Sociological Study of Jointness of in a Small Town*. Bombay: Asia.
11. Dube, S.C. (1955). *Indian Village*. Routledge & Kegan Paul: London.
12. Goodwin, C.J. (1972). "The Family, "Chapter VI. in *Continuity and Change: A Study of Two Christian Village Communities in Suburban Bombay*. Tata McGraw-Hill: Bombay.
13. Gore, M.S. (1968). *Urbanization and Family Change.* Popular: Bombay.
14. Gould, H.A. (1968). "The Dimensions and Structural Change in an India Kinship System". in M.Singer and B.S. Cohn (eds.) *Structure and Change in Indian Society*. Aldine: Chicago.
15. Kaldate, Sudha (Smt.). (1961). "Urbanization and Disintegration of Rural Joint Families". *Sociological Bulletin*. March-Sept.
16. Kapadia, K.M. (1958). *Marriage and Family in India*. Oxford University Press: Bombay. II Edition. Pg. **285-72.**
17. Kapoor, Saroj. (1965). "Family and Kinship Groups Among the Khatris of Delhi". *Sociological Bulletin*. 14(2). Pg. **54-63.**
18. Karve, Iravati. (1953). *Kinship Organization in India*. Poona.
19. Kolenda, P.V. (1968). "Religion, Caste and Family Structure: A Comparative Study of Indian Joint Family". in M.Singer and B.S. Cohen. eds. *Structure and Change in Indian Society*. Aldine: Chicago. Pg. **339-98.**

20. Kulkerni, G.M. (1960). "Family Pattern in Gokuk Taluka. "*Sociological Bulletin*". 9(1). Pg. **60-81.**
21. Madan, T.N. (1962). The Hindu Joint Family. Man. 42(145). Pg. **88-89.**
22. Madan, T.N. *Family and Kinship : A Study of the Pandits of Rural Kashmir*. Asia and Publishing House: Bombay.
23. Uberoi, P. (ed.) (1999). *Family, Kinship and Marriage in India*. Oxford University Press: New Delhi. Pg. **416-35.**
24. Mandelbaum, D.G. "The Family in India, "in Rush Anshan (Ed.). *The Family : Its 1964 Function Destiny*. Harpers: New York.
25. Mayer, Adrian C. (1960). *Caste and Kinship in Central India*. Routledge: London.
26. Mukherjee, R., (1959). "A Note on the Classification of Family Structure". Regional Seminar on *The Techniques of Social Research: Proceedings and Papers*. UNESCO Research Centre: Calcutta. Pg. **133-143.**
27. Niranjan, S., et.al. (1998). "Family Structure in India : Evidence From NGMS. "*Demography India*". 27(2). Pg. **287-300.**
28. O'Malley, L.S.S. (1941). "The Hindu Social System". in L.S.S. O'Malley. ed. *Modern India and the West*. Oxford University Press: London. Pg. **381-86.**
29. Orenstein, H., Michlin, M. (1996). "The Hindu Joint Family: The Norms and the Number". *Pacific Affairs.* 39. Pg. **314-325.**
30. Rose, A.D. (1967). *The Hindu Family in its Urban Setting*. Oxford University Press: Bombay.
31. Sarma, J. (1951). "Formal and Informal Relations in the Hindu Joint Households of Bengal". *Man in India*. 31. Pg. **51-71.**
32. (1964). "Nuclearization of Joint Family Households in West Bengal." *Man in India.* 44. Pg. **193-206.**
33. Singer, M. (1968). "The Indian Joint Family in Modern Industry". in *Structure and change in Indian Society ed. by* M. Singer & B.Cohn. Aldine Pub Co.: Chicago. Pg. **423-452.**
34. Singh, J.P. (1984). "The Changing Household Size in India". *Journal of Asian and African Studies*. 19(1-2). Pg. **86-95.**
35. (1985). "Marital Status Differentials in Rural to City Migration in India". Sociological Bulletin. 34(1-2). Pg. **69-87.**
36. (1988). "Age and Sex Differential in Migration in India". *Canadian Journal of Population Studies.* 15(1). Pg. **87-99.**